न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 20/2023

अपीलार्थी

तलसीदेवी पत्नी अचलाजी, जाति–कलबी, निवासी–धाण, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही
(2) जेता पुत्र स्व. धर्मा जी, जाति– कलबी, निवासी–धाण, तह. रेवदर, जिला– सिरोही
(3) रामा पुत्र स्व. धर्मा जी, जाति– कलबी, निवासी–धाण, तह. रेवदर, जिला– सिरोही
(4) भीखा पुत्र स्व. धर्मा जी, जाति– कलबी, निवासी–धाण, तह. रेवदर, जिला– सिरोही
(5) जोजू पुत्री स्व. धर्मा जी, जाति– कलबी, निवासी–धाण, तह. रेवदर, जिला– सिरोही
(6) नाजू पुत्री स्व. धर्मा जी, जाति– कलबी, निवासी–धाण, तह. रेवदर, जिला– सिरोही
(7) मीरा पत्नी स्व. धर्मा जी, जाति– कलबी, निवासी–धाण, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
(2) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 29 जुलाई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम धाण, पटवार हल्का धाण के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 20.12.2001 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय समयावधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलार्थी की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी व उसके संयुक्त खातेदारों के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम धाण, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 412, 413, 414, 421, 425, 426 कुल किता 6 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा है। उक्त भूमि में अपीलार्थी अपने पति के अचला पुत्र धर्माजी कलबी व ससुर धर्मा पुत्र किशनाजी कलबी, निवासी– धाण के समय से उनके साथ साथ काबिज होकर काश्त करती आ रही है। उक्त भूमि का 1/4 हिस्सा अपीलार्थी के ससुर धर्मा पुत्र किशनाजी के खातेदारी व कब्जे काश्त का है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। अपीलार्थी के ससुर धर्मा पुत्र किशना जी की दिनांक 09.2.1990 को व [illegible] के पति स्वर्गीय अचला पुत्र धर्मा

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कलबी कीदिनांक 04.11.1993 को मृत्यु हो गई है। अपीलार्थी के पति की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलार्थी गहरे सदमें में होने व पढी लिखी नही होने से समय पर अपने स्वयं के नाम से व अपने नाबालिग पुत्र रुपाराम के नाम से नामान्तरकरण दायर नही करवा सकी थी। यह कि दिनांक 02.3.1998 को अपीलार्थी के पुत्र रुपाराम की भी मृत्यु हो गई है। यह कि अपीलार्थी के ससुर श्री धर्मा पुत्र किशना जी के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के संबंध में कोई जांच किये बिना ही पटवारी हल्का, धाण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 569 दायर किया गया, जो तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 20.12.2001 को स्वीकृत किया गया है जो विधि विरुद्ध है। यह कि मृतक खातेदार धर्मा पुत्र किशनाजी की एकमात्र उत्तराधिकारी अपीलार्थी ही है जिसके नाम से नामान्तकरण दर्ज नही कर धर्मा पुत्र मगाजी के वारिसदार प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है। जबकि उक्त कृषि भूमि धर्मा पुत्र मगाजी कलबी के खातेदारी की नही रही है एवं न ही उनके वारिसदारों का उक्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार पैदा होता है। मृतक खातेदार धर्मा पुत्र किशना जी की एकमात्र वारिसदार अपीलार्थी ही होने से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में दायर कर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ पटवारी हल्का धाण व तहसीलदार, रेवदर ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया है, जो विधि विरुद्ध है। यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण को दायर करने व स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया है। यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में अपीलार्थी को पूर्व से कोई जानकारी नही थी एवं अपीलार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की आवश्यकता होने पर जमाबन्दी की नकल हेतु पटवारी हल्का, धाण से सम्पर्क किया तब पटवारी हल्का, धाण के माध्यम से अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण व जमाबन्दी में नाम दर्ज नही होने के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी हुई एवं अपीलार्थी द्वारा जानकारी तिथि से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे एवं अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम धाण, पटवार हल्का धाण के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 20.12.2001 को निरस्त कर अपीलर्थी के हक में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के सह खातेदार धर्मा पुत्र किशना जी की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि के संबंध में पटवारी हल्का धाण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में उत्तराधिकार नामान्तरकरण संख्या 569 दायर किया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 20.12.2001 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम धाण, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 412, 413, 414, 421, 425, 426 कुल किता 6 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार धरमा पुत्र किशना जी कलबी, निवासी– धाण की मृत्यु के बाद उक्त श्री धरमा पुत्र किशना जी के हक हिस्से की कृषि भूमि का पटवार हल्का, धाण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 569 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 20.12.2001 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 20.12.2001 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.8.2023 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 20.12.2001 के विरुद्ध यह अपील विलम्ब से

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 20.12.2001 के विरुद्ध जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मियाद की अवधि जानकारी तिथि से प्रारम्भ होती है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदार धरमा पुत्र किशना जी कलबी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 569 पटवारी हल्का, धाण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 20.12.2001 को स्वीकृत किया गया है। जबकि प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, रेवदर से मृतक खातेदार धर्मा पुत्र किशना जी कलबी, निवासी– धाण के विधिक वारिसानों के संबंध में रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांकःभू.अ. /2024/2823 दिनांक 16.7.2024 से इस न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में मृतक खातेदार धर्मा पुत्र किशनाजी कलबी, निवासी– धाण के विधिक वारिसान अचलाराम पुत्र धरमा जी कलबी (फौत) व तलसीदेवी पत्नी अचलाजी कलबी होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में, मृतक खातेदार धरमा पुत्र किशना जी कलबी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण, अपीलार्थी के हक में दायर कर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन मृतक खातेदार धरमा पुत्र किशना जी कलबी, निवासी– धाण की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप नही है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम धाण, पटवार हल्का धाण के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 20.12.2001 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार धरमा पुत्र किशना जी कलबी, निवासी– धाण के विधिक वारिसानों की जांच करके विधि अनुरुप नये सिरे से नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:33 IST
Reason: SelfAttested